न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 69/2016

1–महेशचन्द्र शर्मा पुत्रश्री बुजभल्लभ जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा तहसील सैपऊ हाल आबाद कमला कॉलोनी सिंचाई विभाग के सामने बाडी रोड धौलपुर जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1–राजेन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति जाटव निवासी ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ 2–महाराजसिह पुत्रश्री पीतेल जाति जाटव निवासी दुबेपुरा तहसील सैपऊ 3–सत्यनारायन पुत्रश्री बृजभल्लभ जाति ब्राहमण निवासी दुबेपरा हाल आबाद खरन्जा रोड धौलपुर 4–उर्मिलादेवी पुत्री बृजभल्लभ पत्नी नेत्रपाल जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद गिर्राज कॉलोनी धौलपुर 5–लक्ष्मीदेवी पुत्री बृजभल्लभ पत्नी रामखिलाडी जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद गोपालपुरा मुरैना 6–गुडडी देवी पुत्र बृजभल्लभ पत्नी सुशील जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद सदरवन विचपुरी आगरा
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ बहैसियत लैण्ड होल्डर

.....प्रतिवादीगण

दावा अनतर्गत धारा 88, 88 एंव 183 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ..... (वादी)

निर्णय

दिनांक:16.10.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 212, 212/433, 217, 218, 230, 231, 377, 1379, 380 कुल किता 9 कुल रकवा 9 वीघा 14 विश्वा स्थित वाके ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0) के आराजी के खातेदार काश्तकार बृजभल्लभ पुत्र गनपत कौम ब्राहमण निवासी ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ थे बृजभल्लभ का निधन हो चुका है। स्व0 बृजभल्लभ के निधनोपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगाायत 6 स्व0 बृजभल्लभ के वारिस व उत्तराधिकारी एंव कायम मुकाम है जिन्हौने स्व0 बृजभल्लभ का समस्त तर्का विरासतन व मौके पर प्राप्त किया है लेकिन अीा राजस्व रिकॉर्ड मे विरासत का नामन्तकरण नही खुला है। उक्त प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 212/433 रकवा 04 विश्वा तथा 212 रकवा 18 विश्वा वाके ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ विवादित है। वादपत्र के साथ वादी द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी से कोई सरोकार व सम्बध नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुसूचित जाति के राजनैतिक पहुच वाले दबंग व्यक्ति है तथा वादी शान्तिप्रिय नौकरपैशा व्यकित है जो

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

...लपुर में निवास करते है। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने अर्सा करीब 1 माह पूर्व वादी के आराजी खसरा नम्बर 212/433 रकवा 4 विस्वा भूमि की पूर्वी दिशा में करीब 45×12 फुट भूमि पर अवैध एंव अनाधिकृत रूप से लट्ठ के बल पर कब्जा कर अपना पुख्ता मकान का निर्माण कर लिया है तथा छप्पर डाल दिया है । वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से अवैध अतिक्रमण करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को मॉ बहिन की भद्दी–भद्दी गालियां दी तथा वादी को लाठी, डण्डो से मारने पीटने के लिये आमादा हो गये तथा वादी को एलानियां धमकी दी कि वादी आयन्दा उक्त खसरा नम्बर 212/433 पर नही आये यदि आया तो वह वादी की हड्डी–पसली तोड देगें तथा वादी को धारा 3 एससी/एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में या अन्य किसी झूठे मुकदमें में फसा देगें तथा अपने अतिक्रमण को नही हटायेगें। तथा खसरा नम्बर 212 रकवा 18 विस्वा भूमि पर भी लट्ठ के बल से वादी को बेदखल कर अतिक्रमण करेगे । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध अतिक्रमण को वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के खसरा नम्बर 212/433 में 45×12 फुट क्षेत्रफल पर अतिक्रमण कर लिया है। आराजी खसरा नम्बर 510 राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके पर गैरमुमकिन रास्ता भूमि है तथा राजकीय व सार्वजनिक उपयोग में आता है जिसमे होकर वादी आराजी खसरा नम्बर 212/433 में आवागमन करता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 510 में किये गये अवैध अतिक्रमण से वादी के खसरा नम्बर 212/433 का रास्ता अवरूद्व हो गया है तथा सार्वजनिक रास्ता भी अवरूद्व हो गया है । खसरा नम्बर 510 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध अतिक्रमण को भी नक्शा संलग्न वादपत्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है। वादी को अन्देशा है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के खसरा नम्बर 212/433 पर और अधिक पुख्ता निर्माण अवैध रूप से करेंगे तथा वादी को खसरा नम्बर 212/433 के शेष भाग से तथा खसरा नम्बर 212 के सम्पूर्ण भू भाग से बैदखल कर अपना अवैध कब्जा कर सकते है तथा प्रतिवादी अपने उपरोक्त उद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी । उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी में 1/5 भाग का स्वत्व उद्घोषित करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध अतिक्रमण को दर्शित नक्शा संलग्न वाद पत्र व रंग लाल को जरिये सादेश व्यादेश ध्वस्त करवा कर अपना कब्जा वापिस प्राप्त करें तथा रास्ते के खसरा नम्बर 510 से भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करवाकर अपने आराजी खसरा नम्बर 212/433 में आने–जाने के लिये रास्ते को सुचारू कायम करवायें तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करवाये कि वे विवादित आराजी से वादी को बैदखल कर अपना अवैध अतिक्रमण नही करें तथा अपना पुख्ता निर्माण नही करें जिसका कि वादी अधिकारी एंव दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 3 लगाायत 6 स्व0 बृजभल्लभ के वादी के अलावा वारिस एंव उत्तराधिकारी है तथा

उपखण्ड अधिकारी

वाद दायरी के वक्त बतौर वादी हस्ताक्षर करने के लिये उपलब्ध नही है इसलिये उन्हे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है तथा उनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

अंत में निवेदन किया है कि विवादित आराजी मे वादी को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें। विवादित स्थल दर्शित नक्शा संलग्न वाद पत्र व रंग लाल में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण वादी को वापिस प्रदान किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलंन्दाजी उत्पन्न नही करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण न्यायालय में बाबजूद तामील उपस्थित नही आये । अतः दिनांक 29.08.2018 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 तथा दिनांक 30.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 3 एंव 6 के विरूद्व एंकपक्षीय कार्यवही अमल में लायी गई। वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपियां जमावन्दी संवत 2068–71 खाता संख्या 56 वाके ग्राम दुबेपुरा, फोटोप्रति नक्शा बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 212 , 212/433, 217, 218, 230, 231 वाके ग्राम दुबेपुरा तथा प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रैस प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात में 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक दस्तावेजात अन्तिम डिक्री करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 212, 212/433, 217, 218, 230, 231, 377, 1379, 380 कुल किता 9 कुल रकवा 9 वीघा 14 विश्वा स्थित वाके ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ में से विवादित आराजी खसरा नम्बर 212/433 में वादी के हिस्से 1/5 भाग की नाप जोख करवाकर, यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादी के हिस्से में आई आराजी पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे ध्वस्त किया जावे । आराजी खसरा नम्बर 212/433 में आने–जाने के लिये रास्ते को सुचारू कायम करवाये जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 510 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 212/433 एंव 212 से वादी को बैदखल नही करें तथा अपना पुख्ता निर्माण नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईव्तदाई

पीठासीन अधिकारी –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 69/2016

1–महेशचन्द्र शर्मा पुत्रश्री बुजभल्लभ जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा तहसील सैपऊ हाल आबाद कमला कॉलोनी सिंचाई विभाग के सामने बाडी रोड धौलपुर जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1–राजेन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति जाव निवासी ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ 2–महाराजसिह पुत्रश्री पीतेल जाति जाटव निवासी दुबेपुरा तहसील सैपऊ 3–सत्यनारायन पुत्रश्री बृजभल्लभ जाति ब्राहमण निवासी दुबेपरा हाल आबाद खरन्जा रोड धौलपुर 4–उर्मिलादेवी पुत्री बृजभल्लभ पत्नी नेत्रपाल जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद गिर्राज कॉलोनी धौलपुर 5–लक्ष्मीदेवी पुत्री बृजभल्लभ पत्नी रामखिलाडी जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद गोपालपुरा मुरैना 6–गुडडी देवी पुत्र बृजभल्लभ पत्नी सुशील जाति ब्राहमण निवासी दुबेपुरा हाल आबाद सदरवन विचपुरी आगरा
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ बहैसियत लैण्ड होल्डर

.....प्रतिवादीगण

दावा अनतर्गत धारा 88, 88 एंव 183 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ..... (वादी)

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव वादी योगेशकुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव प्रतिवादी .....एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 212, 212/433, 217, 218, 230, 231, 377, 1379, 380 कुल किता 9 कुल रकवा 9 वीघा 14 विश्वा स्थित वाके ग्राम दुबेपुरा तहसील सैपऊ में से विवादित आराजी खसरा नम्बर 212/433 में वादी के हिस्से 1/5 भाग की नाप जोख करवाकर, यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादी के हिस्से में आई आराजी पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे ध्वस्त किया जावे । आराजी खसरा नम्बर 212/433 में आने–जाने के लिये रास्ते को सुचारू कायम करवाये जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 510 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है किं वह आराजी खसरा नम्बर 212/433 एंव 212 से वादी को बैदखल नही करें तथा अपना पुख्ता निर्माण नही करें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ